एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, प्रथमा,
शुक्रवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

13 दिसंबर 2019, इंदौर

e-paper : www.ekatmabharat.com

युवा नशे के स्थान पर संस्कारों को अपनाएं बंडारू दत्तात्रेय

शिमला

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। 2030 तक विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश भारत होगा। युवा शक्ति का सही उपयोग करने के लिए युवाओं को नशे के स्थान पर संस्कारों को अपनाना पड़ेगा। वे गेयटी थियेटर, शिमला में आयोजित संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा सुनील उपाध्याय ट्रस्ट के तत्वाधान में 'भारत की परिकल्पना – नशामुक्त संस्कारयुक्त युवा' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री महेन्द्र पांडे एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर थे।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विवेकानंद ने युवाओं को संदेश दिया था कि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है। यहां उच्च भारतीय मूल्य विद्यमान रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि उनको यदि देश पर बलिदान होने वाले कुछ युवा मिल जाएं तो वह भारत की परिकल्पना को बदल सकते हैं। महेंद्र पांडे ने सुनील उपाध्याय जी के समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी के सांगठनिक कार्य की विस्तार से चर्चा की। कठुआ में जब उन्हें हिमाचल प्रदेश में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने प्रदेश में एबीवीपी को खड़ा करके चुनौती को पूरा किया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर ने भी सुनील उपाध्याय के कार्य का स्मरण किया।

राम मंदिर की अंतिम बाधा भी हटी, सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नविचार याचिकाएं खारिज की

अब पक्षकारों के पास बस क्यूरेटिव पिटीशन (उपचारात्मक याचिका) दाखिल करने का ही विकल्प बचा है। इसकी सुनवाई भी चैंबर में हो सकती है। लेकिन इसकी संभावना कम है।

नई दिल्ली

अयोध्या मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई है। इस मामले में अलग-अलग पक्षों ने कुल मिलाकर 18 पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की थी इन सभी याचिकाओं को पांच जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। इसके साथ राम मंदिर निर्माण की अंतिम कानूनी बाधा भी समाप्त हो गई है।

न्यायालय में बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई हुई लेकिन पांचों जजों में इस बात को लेकर एक राय थी कि फैसले में कोई भी ऐसा कानूनी पक्ष नहीं है जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। जो 18 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी उनमें से नौ पक्षकारों की तरफ से लगाई गई थी तथा नौ अन्य व्यक्तियों ने लगाई थी।

हिंदू महासभा अभी मस्जिद कोई लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका लगाई थी तथा निर्मोही अखाड़े ने निर्णय के एक माह के भीतर केंद्रीय ट्रस्ट बनाने और उसमें निर्मोही अखाड़े की भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर

याचिका दायर की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक मत से खारिज कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने चैंबर में इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया। पीठ में अन्य जज हैं-जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना। पीठ ने केवल उन्हीं लोगों की पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया, जो अयोध्या विवाद में शुरूआत में दाखिल चार मुकदमों में मूल पक्षकार रहे हैं। इन पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के साथ ही इनकी खुली कोर्ट में सुनवाई की मांग भी अपने आप खारिज हो गई है। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले तीसरे पक्ष के 40 लोगों में इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थशास्त्री व राजनीतिक विचारक प्रभात पटनायक, कार्यकर्ता हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर व जॉन डोयाल आदि शामिल थे। इन लोगों ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ के गठन की भी मांग की थी। हिंदू महासभा की याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का विरोध किया गया था जबकि निर्मोही अखाड़ा ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह ट्रस्ट में उसकी भूमिका और प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन उसमें भूमिका और प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही अखाड़ा ने फैसले में उसका शैबियत राइट्स (सेवा-पूजा का अधिकार) नकार दिए जाने के अंश को चुनौती दी थी। अखाड़ा ने कहा कि मुकदमे में किसी भी पक्षकार ने उसके शैबियत राइट्स को चुनौती नहीं दी थी। सुनवाई के दौरान समय की कमी के कारण उन्हें इस मुद्दे पर साक्ष्य रखने और तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिकाओं में कहा कि जब कोर्ट ने माना है कि विवादित ढांचा मस्जिद थी तो फिर उनका हक नकारने का निर्णय ठीक नहीं है।

बालाकोट में F-16 के इस्तेमाल पर पाक को US ने लगाई फटकार

भारतीय सेना ने मार गिराया था पाकिस्तान का एफ-16, अमेरिका से की थी इसका उपयोग करने की शिकायत

वाशिंगटन

अमेरिका ने भारत के खिलाफ एफ-16 लड़ाकू विमानों का उपयोग करने पर पाकिस्तान को अगस्त में फटकार लगाई थी। अमेरिकी मीडिया में बुधवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एफ-16 लड़ाकू विमान का उपयोग किया था जिसे भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान से मार गिराया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन में तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्री एंड्रिया थॉमसन ने अगस्त में एफ-16 के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख मुजाहिद अनवर खान को पत्र भी लिखा था। इसमें पाकिस्तान पर बिना जानकारी दिए एफ-16 लड़ाकू विमान के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। एंड्रिया ने इसे दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा समझौते का उल्लंघन बताया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 विमान जिस समझौते के तहत दिए हैं उसमें समझौते के तहत बताना होगा, कहां और कैसे इस्तेमाल किया। समझौते के तहत पाकिस्तान अमेरिका को जानकारी दिए बिना इन लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एफ-16 का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए सीधी कार्रवाई में भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पाकिस्तान को एफ-16 के ठिकाने बदलने की जानकारी अमेरिका को पहले ही देनी होगी।

थॉम्पसन ने अपने पत्र में लिखा कि हमें आपने यह बताया कि ये विमान राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों से उड़ाए गए थे। पाकिस्तान ने लड़ाकू और मिसाइलों को अनाधिकारिक सैन्य ठिकानों पर तैनात किया। इससे

इन हथियारों के खतरनाक आतंकी ताकतों के हाथ में पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। एंड्रिया ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका इस तरह का व्यवहार दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा समझौते का उल्लंघन है। फरवरी में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी संगठन जैश के ठिकानों को नष्ट किया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने एफ-16 विमान भेजकर भारत के सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना ने विफल कर दिया था। भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने जवाबी कार्रवाई में एक एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इस दौरान भारत का मिग-21 विमान भी क्रैश हो गया था। उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। हालांकि, उन्हें बाद में छोड़ दिया था।

भारत ने इसे युद्ध की पहल बताते हुए एफ-16 के इस्तेमाल की शिकायत अमेरिका से की थी। हालांकि, उस वक्त अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगा गया।